## नेशनल लोक अदालत दिनांक : 12/11/2016

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री आलोक उपाध्याय। आरोपी महेश कुमार, बिट्टोबाई एवं रामबेटी सहित श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता।

फरियादी विश्वनाथ एवं हीरावती सहित श्री डी.आर. बसंल अधिवक्ता।

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रस्तुति हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी विश्वनाथ पुत्र रघुवीर राठौर एवं हीरावती पत्नी विश्वनाथ राठौर, निवासीगण :— ग्राम खेरिया महानंद ने उसके अधिवक्ता श्री डी.आर.बंसल के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी / आवेदक विश्वनाथ एवं हीरावती ने उसके अधिवक्ता श्री डी.आर.बंसल के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 504, 323 / 34 एवं 325 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी / आहत विश्वनाथ एवं हीरावती अभियोजित अपराध की धारा 504, 323 / 34 एवं 325 भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री डी.आर.बसंल अधिवक्ता द्वारा की है। आहतगण की पहचान उनके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजित की धारा 504, 323/34 एवं 325 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का

शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 504, 323 / 34 एवं 325 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है। प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयाविध में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

01. राकेश गुप्ता अधिवक्ता (सदस्य)

(पंकज शर्मा) 02.. ए.बी. पाराशर अधिवक्ता (सदस्य) <u>पीठासीन अधिकारी लोक अदालत</u>

जिला भिण्ड